

पत्रावली पेश हुई न्यायालय सभप में बार-बार
 भावजे लगवाई गई। परन्तु वादी व उनके
 अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा
 फरमान उद्दम पेशी। फरमान हाजरी में
 जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल
 सुनार हो कर नम्बर से रफ्त हो।
 निर्णय सुने न्यायालय में सुनाया
 गया।



सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्

